GENERAL STUDIES (Test–6)

Time allowed: Three Hours

DTVF/23 (J-A)–M–GSM (P-III)-2306

Maximum Marks:250

Name: Jatin Kumar **Mobile Number:** _____

Medium (English/Hindi): Hindi **Reg. Number:** _____

Center & Date: Online – 31.07.2023 **UPSC Roll No. *(If allotted)*:** _____

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

(To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.	2·5	11.	7·0
2.	3·5	12.	7·0
3.	4·0	13.	6·5
4.	4·0	14.	7·0
5.	3·5	15.	7·0
6.	3·5	16.	7·0
7.	4·5	17.	7·0
8.	4·0	18.	7·0
9.	3·5	19.	7·0
10.	4·0	20.	6·5
Grand Total			106·00

E11149

Evaluator (Signature)

Reviewer (Signature)

Feedback

1. Context Proficiency
2. Introduction Proficiency
3. Content Proficiency
4. Language/Flow
5. Conclusion Proficiency
6. Presentation Proficiency

→ संदर्भ दर्शाता, पाठ्यक्रम दर्शाता है प्रयास करें और बेहतर बनाएं।

→ कंटेंट की व्याख्यात्मक समझ अच्छी है।

→ भाषा शैली और प्रस्तुतीकरण अच्छा है

→ निष्कर्ष को प्रभावी बनाएं।

→ उत्तर में अधिकतम महत्वपूर्ण बिन्दुओं के साथ जहाँ आवश्यक हो तथ्यों/आंकड़ों को संलग्न करें

www.drishtiias.com
Contact: 8750187501, 8448485517
Copyright – Drishti The Vision Foundation

GSM (P-III) 2306

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

① FIPIC पहल प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। टिप्पणी कीजिये।

FIPIC पहल प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने पर केन्द्रित है।

भूमिका / संकल्पना / आदि

प्रशांत क्षेत्र में भारत का योगदान

1. हिन्द महासागर से लगा क्षेत्र
2. भारत की Act East देशों तक पहुँच

~~भारत अमेरिका व भारत - ऑस्ट्रेलिया~~ ~~संबंधों~~ ~~की सुदृढ़ता~~

~~भारत का अन्य देशों तक व्यापार में योगदान~~

→ व्यापार

→ ग्लोबल साउथ

→ संभावित वैश्विक नेतृत्व वोट

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

आगे की राह –

- भारत को उत्तर दक्षिण सहयोग पर ध्यान केन्द्रित।
- भारत के विकासित देशों से सहयोग

अतः भारत को FIDIC क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

चुनौतियों की चर्चा के बाद ही आगे की राह का निष्कर्ष

निष्कर्ष को प्रभावी बनाएँ

2.5/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

(2) एक सक्रिय एवं विविधतापूर्ण नागरिक समाज प्राय: लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य को अनुशासित कर सकता है। तथा यह सुनिश्चित कर सकता है कि नागरिकों को हितों को गंभीरता से लिया जाए और अधिक से अधिक नागरिक एवं राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। चर्चा कीजिए।

उ. समाज से तात्पर्य सामाजिक सम्बन्धों के ऐसे जाल से है जिसकी मूलभूत इकाई व्यक्ति होता है — RM मैकाइवर

नागरिक समाज को परिभाषित करें

सक्रिय व विविधतापूर्ण नागरिक समाज एवं लोकतंत्र

1) लोकतंत्र में जवाबदेहिता बढ़ाने में
उदा. - सामाजिक अंकेक्षण

2) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया
उदा. पंचायती राज संस्थान

3) वृहद स्तर पर जनभागीदारी
उदा - NGO, सामाजिक संगठन, दबाव समूह

4) लोकतंत्र की प्रभावशीलता एवं दक्षता में वृद्धि
उदा - RTI

5) राज्य को अनुशासित बनाने में

→ पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

6) नागरिकों के हितों की सुनिश्चितता
उपाय - नीति निर्माण एवं विधि निर्माण में नागरिकों से सहयोग प्राप्ति एवं उनके विचार जानना
7) नीति क्रियान्वयन के समय फीडबैक एवं उचित सुधार प्रक्रिया

आगे की राह -

- नागरिकों की स्वतंत्रता पर सकारात्मक प्रतिबन्ध की आवश्यकता जिससे हेट स्पीच पर रोक लगे
- नौकरशाही को नागरिक- उन्मुख बनाने पर जोर दिया जाये
- सुशासन एवं ई- गवर्नेंस पर जोर दिया जाये।

विविधतापूर्ण समाज की सक्रियता लोकतंत्र के मूल अर्थ को तृणमूल स्तर तक ले जाती है। हमें विविधता में एकता एवं वसुधैव कुटुम्बकम जैसे भावों पर जोर देने की आवश्यकता है।

3.5/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम उन महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है जिसने भारत में नागरिकों की केंद्रीयता को मजबूत किया है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

सूचना का अधिकार अधि.-(RTI), 2005 में नागरिकों को किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सरकारी सूचना प्राप्त करने हेतु दिया गया अधिकार है।

लोक प्राधिकरण → विधि द्वारा स्थापित निकाय
संवैधानिक निकाय
निजी क्षेत्र जो सरकार द्वारा वित्तपोषित है

RTI एवं नागरिकों की केंद्रीयता -

1. लोगों की लोक प्राधिकरणों तक पहुँच आसान एवं प्राधिकरणों की जवाबदेहिता सुनिश्चित हुई है।
2. लोगों की अपने अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ी है
3. जन भागीदारिता में वृद्धि हुई है
4. प्रशासन में पारदर्शिता आयी है।
5. नागरिक, लाभार्थी न होकर प्रशासन में हिस्सेदार बनकर उभरे हैं।

शुरुआत अच्छी है
→ जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बढ़ावा दिया

write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

समस्याएँ -

1. केन्द्रीय लोक सूचना आयोग (CIC) एवं SIC के पास सूचनाओं की समस्याओं का भण्डार

2. लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना सवाल पर प्रदान नहीं करना / अधूरी सूचना या सही सूचना नहीं प्रदान करना

3. CIC व SIC → सेवानिवृत्त नौकरशाहों का पार्किंग क्षेत्र

द्वितीय अपील
↑
प्रथम अपील
↑
लोक प्राधिकरण
↑
RTI

RTI प्रक्रिया

→ कम जागरूकता

समाधान एवं आगे की राह :-

1. CIC / SIC को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता

2. व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा एवं पुरस्कार
3316 – लगभग 90 RTI कार्यकर्ताओं की मृत्यु (2021)

3. लोक प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता

कंटेंट अच्छा नहीं

अतः RTI ने मानव-मात्र को प्रशासन के केन्द्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किन्तु और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि नौकरशाही के व्यवहार में परिवर्तन किया जाए एवं अधिकतम सूचनाएँ स्व-प्रकटीकरण कर दिया जाये।

04/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(5) अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के संबंधों में चुनौतियों और अवसरों के विषय में चर्चा कीजिये तथा इस साझेदारी को बेहतर बनाने के उपाय बताइये।

अफ्रीकी महाद्वीप एवं भारत लगभग समान जनसंख्या (17%) वाले स्थान हैं जिनमें सम्बन्ध स्थापित करने का एक व्यापक अवसर मौजूद है।

वर्तमान में भारत-अफ्रीकी महाद्वीप सहयोग -

- BRICS में द० अफ्रीका की भूमिका
- भारत की सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट के लिए अनेक अफ्रीकी देशों द्वारा सहयोग
- मिस्र के साथ ऐतिहासिक सम्बन्ध (अशोक के अभिलेखों के)
- औपनिवेशिक इतिहास

→ व्यापार
→ FDI
→ गांधी
→ ऊर्जा
→ डायस्पोरा

चुनौतियाँ -

- चीन की वन बेल्ट वन रोड नीति एवं चीन का बढ़ता निवेश
- अत्याधिक निम्न तकनीकों की उपलब्धता एवं गरीबी व भूखमरी
- जनजातीय समुदाय - विकास के प्रति कम सोच

→ आतंकवाद

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

अवसर - विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा निम्न अवसरों पर चर्चा की गयी है।

- अफ्रीका में संसाधनों का व्यापक भण्डार
- यूरोपीय देशों तक पहुँचने का मार्ग
- अत्यधिक बड़ा बाजार एवं विकास की असीम संभावनाएँ

बेहतर करने के उपाय :— विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा

1. राजनीतिक स्तर पर वार्ताओं को तीव्र किया जाये।
2. सांस्कृतिक सम्बन्धों को प्रोत्साहन - लोगों के स्तर पर कार्यवाही
3. किसी शीर्ष नेता के नाम पर छात्रवृत्तियां जैसे नेल्सन मंडेला
4. विज्ञान व रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग
5. विशेष अफ्रीकी कोष की स्थापना एवं अफ्रीकी मामलों का अध्ययन का नवीन पद

अफ्रीका व भारत ने अशोक, महात्मा गाँधी व जवाहरलाल नेहरू के समय से आपसी सम्बन्ध बनाये हैं हमें निवेश, R&D एवं लोगों के स्तर पर बातचीत बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि हम दक्षिण का मजबूत नेतृत्वकर्ता बन सकें।

Good.

4.0/10

(Do not write anything except the question number in this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(5) दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिये।

भारत दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला देश है (जनसंख्या 18%, क्षेत्रफल 2.4%)।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भारत की भूमिका

1) SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के माध्यम से
- आपसी सम्बन्ध एवं भिन्न विचार वाले देशों के मध्य कनेक्टिविटी

2) BIMSTEC के द्वारा
- बंगाल की खाड़ी के देशों जिनमें अधिकांश देश दक्षिण एशिया के हैं, आपस में कनेक्टिविटी बढ़ायी जा सकती है।

→ खाद्य सुरक्षा
→ [illegible]

3) भारत - पाकिस्तान बस सेवा की शुरुआत 1999 में

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

4) उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कोरिडोर को दक्षिण के अन्य राज्यों तक पहुँचाने से

आर्थिक एकीकरण में भूमिका

1) रुपये का अन्तर्राष्ट्रीयकरण – दक्षिण एशिया के देश आपसी व्यापार में रुपये का उपयोग करें

2) FTA द्वारा – सभी देशों अथवा SAARC देशों के मध्य आपसी FTA हस्ताक्षरित किया जाये

3) श्रीलंका, नेपाल भूटान को विपरीत परिस्थितियों में दिया गया अनुदान एवं सॉफ्ट लोन

दक्षिण एशिया वैश्विक परिदृश्य पर उभरता हुआ क्षेत्र है जिसकी धुरी भारत है। भारत अपने विजन एवं नेतृत्व से विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो सकता है।

3.5/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(6) सहकारी संघवाद केंद्र व राज्य के बीच स्थिर संबंध की विचारधारा को दर्शाता है। इसके बावजूद, इससे संबंधित कुछ मुद्दे और चुनौतियाँ हैं चर्चा कीजिये।

सहकारी संघवाद वह प्रक्रिया है जिससे राज्य एवं केन्द्र आपसी निर्णय प्रक्रिया में भागीदार होते हैं।

सहकारी + संघवाद
↓ ↓
सबका साथ केन्द्रीयता

स्थिर संबंध की विचारधारा –

सहकारी संघवाद की अवधारणा राज्यों की स्वायत्तता एवं केन्द्र को प्रमुखता देती है।

राज्य के क्षेत्रीय मुद्दों का राष्ट्रीय मुद्दों के साथ समन्वय

- अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज सुनी जाती है।
- राज्यों के विलीयन में आसानी होती है।
- राज्यों के मध्य आपसी विवादों का निपटारा आसान
- राज्य की प्रगति का आकलन एवं अन्य राज्यों से सांतत्य

शुरुआत सराहनीय है

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

मुद्दे व चुनौतियां :-

1) राज्यों द्वारा राष्ट्रीय हित से ऊपर क्षेत्रीय मुद्दों का प्रोत्साहन

2) वित्तीयन सम्बन्धी मुद्दे
जैसे GST परिषद् में GST compensation सम्बन्धी

3) राज्यों द्वारा सहकारी संघवाद की बैठकों में अनुपस्थिति
जैसे - NITI आयोग की बैठकों में

4) केन्द्रीयता का अभाव

5) एक साइज सभी को फिट नहीं

सहकारी संघवाद देश के विकास एवं देश को आन्तरिक संकटों से उबारने का अति महत्वपूर्ण साधनों में से है जहाँ केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

-> राज्यपाल
-> वित्त आयोग
-> राष्ट्रपति शासन

3.5/10

Page

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(7) एक स्वतंत्र निकाय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की प्रकृति का विश्लेषण कीजिये।

UPSC संवैधानिक संस्था है जो संविधान के भाग XIV में अनु 312-323 तक संकलित की गयी है।

UPSC के कार्य

- विभिन्न पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन जैसे - IAS परीक्षा
- DoPT एवं अन्य संस्थाओं को कैंडिडेट Recommend करना
- सरकार द्वारा दिये गये अन्य कार्यों को सम्पन्न करना

UPSC एक स्वतंत्र निकाय के रूप में -

- संवैधानिक संस्था
- अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल निश्चित - 6/65 वर्ष (अध्यक्ष) सदस्य 6/62 वर्ष
- वेतन भत्तों में कोई नकारात्मक कमी नहीं किया जा सकता।

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

- वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित
- सदस्यों व अध्यक्ष को हटाने की लम्बी प्रक्रिया
- सदस्य (अध्यक्ष बन सकने योग्य) व अध्यक्ष अन्य किसी कार्य के लिए योग्य नहीं (सेवानिवृत्ति उपरान्त)
- UPSC की प्रकृति स्वायत्त एवं स्वतंत्र है

- समस्याएँ

1. अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप
2. केवल सलाहकारी संस्था
3. कार्यों में विविधता नहीं

समाधान

1. राजनैतिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करने का प्रयास
2. UPSC के निर्णय एवं नीतियों को बाध्यकारी बना दिया जाये
3. अन्य कार्य भी सौंपने चाहिए

UPSC संवैधानिक संस्था के रूप में शीर्ष अधिकारी प्रदान करने में सफल संस्था साबित हुई है जिसे नीति व आचार संहिता का प्रसार करके और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए।

V. Good.

4.5/5

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

8 भारत में ई- गवर्नेंस के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं? इन चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय सुझाइये।

भारत में लगभग 730 मिलीयन इन्टरनेट उपभोक्ता हैं। सरकारी सेवाओं की समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा आपूर्ति करना ही ई-गवर्नेंस कहलाता है।

गवर्नेंस + इलेक्ट्रॉनिक माध्यम = ई-गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस से लाभ -

- सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी
- सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि
- सेवा की सरीकता व प्रभावशीलता
- सेवा में व्यक्तिनिष्ठता व भावों का अभाव जिससे सभी को समान सेवा
- सेवाओं की पहुँच में वृद्धि
- 24×7 सेवा
- आम जन मानस को सस्ती व सुलभ सेवा
- सेवा में न्यून गुटियां

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC
Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए।
Candidates must not write on this margin.

ई-गवर्नेंस की चुनौतियाँ :-

1. भारत में डिजीटल साक्षरता का अति न्यून स्तर एवं डिजीटल साक्षर लोगों में भी न्यून समझ
2. सभी लाभार्थियों तक मोबाइल व इन्टरनेट की पहुँच नहीं - इन्टरनेट - 730 m
   मोबाइल उपयोगकर्ता - 800 m
3. क्रिटिकल बुनियादी ढाँचे का अभाव - ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी नहीं, मोबाइल नेटवर्क का अभाव
4. साइबर अपराध, साइबर हमले व महिलाओं के प्रति हिंसा सम्बन्धी - 85% वृद्धि

समाधान के उपाय :-

- नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा इन्टरनेट की पहुँच
- इन्टरनेट व्यक्ति का मूल अधिकार - फहिमा शरीन केस
- साइबर स्वच्छता केन्द्र व साइबर क्राइम से सुरक्षा
- डिजीटल साक्षरता को प्रोत्साहन
- कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं जागरूकता

ई-गवर्नेंस आज की आवश्यकता है ताकि सुदूर क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुँच सुनिश्चित की जा सके एवं भारत $5 T की अर्थव्यवस्था बन सके।

संदर्भ दी गई स्रुट्स

Good.

4.0/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(7) पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित विकास गतिविधियों के संचालन के लिये भारत में गैर - सरकारी संगठनों को सशक्त बनाने के तरीकों पर चर्चा कीजिये। साथ ही उन प्राथमिक बाधाओं पर भी प्रकाश डालिये जो इनकी प्रगति में बाधक हो सकती है।

NGO वे संगठन हैं जो सरकार के प्रति एवं सरकार के ~~विरुद्ध~~ दोनों समान्तर स्तर से कार्य करते हैं।

NGO

सरकारी नीतियों का प्रोत्साहन व सरकार के कार्यों में सहयोग
उदा० बचपन बचाओ

सरकार जिन मुद्दों पर कार्य नहीं कर सकती उन पर भी ध्यान
जैसे - तृणमूल स्तर पर कार्य

पर्यावरण सम्बन्धी मामलों में NGO का योगदान

1. पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रचार करना
2. लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना
3. वाटरशेड प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया अपनाने पर जोर देना
   जैसे - राजेन्द्र सिंह द्वारा अलवर में अरवरी नदी पर कार्य
4. केरल में पानी संसद द्वारा कार्य

बाधाएँ —

1) सरकार द्वारा फंड की कमी
2) विदेशी फंड लेने पर FCRA की बाध्यता
3) डिजीटल रूप मे उपस्थिति एवं तकनीकी रूपों का कम प्रयोग
उदा — अनेक NGO की वेबसाइट नहीं है
4) लोगो की जागरूकता मे कमी एवं NGO कार्मिकों के प्रति हिंसा

राजनीतिक हस्तक्षेप
मुद्रा/जोखिम

सशक्त बनाने के तरीके —

1) सरकारी वित्तीयन सुनिश्चित किया जाये ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर सके
2) जनजातीय क्षेत्रों मे इन्हे सुरक्षा प्रदान की जाये
3) डिजीटल सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित एवं तकनीकी सहयोग

क्षमता
विशेष

NGO, सुप्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है। NGO को स्वायत्तता देकर न्यूनतम सरकार : अधिकतम शासन के लक्ष्य को कार्यान्वित किया जा सकता है।

3.5/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

10) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उभरते आयामों पर चर्चा कीजिये और विशेषज्ञता के इन क्षेत्रों में भारत की तैयारी का मूल्यांकन कीजिये।

अन्तर्राष्ट्रीय संबंध समय के अनुसार बदलते रहते हैं क्योंकि राज्यों के राष्ट्रीय हित सदैव समान नहीं रहते। वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका का पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान से हाथ खींचना इस बात का गवाह है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के उभरते आयाम :-

1) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अंतरिक्ष तक मानव पहुँचाने की होड़
2) परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने पर जोर
3) रूस व रशिया के चीन की बढ़ती नजदीकियां
4) अमेरिका की हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र में बढ़ती चाहत
5) कतर व तालिबान के मध्य सहयोग
6) बहुपक्षीय संस्थाओं में परिवर्तन उदा. - विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र

• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
• जलवायु मुद्दा (महत्वपूर्ण)

Page

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

भारत की तैयारी :-

1) अंतरिक्ष क्षेत्र में - भारत मंगलग्रह पर एक ही बार में पहुँचने वाला पहला देश, - हाल ही में चन्द्रयान 3 का प्रक्षेपण
2) भारत $ 3.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था एवं 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के आसार - IMF
3) अर्द्धचालक निर्माण पर विशेष जोर
4) भारत का जनांकिकीय लाभांश एवं डायस्पोरा
5) शासन का मजबूत नेतृत्वकर्ता
6) आंतरिक स्थायित्व
7) QUAD, I2U2, BRICS, G-20 जैसे समूहों में हिस्सेदारी
8) अमेरिका, रूस दोनों से समान सम्बन्ध

भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था का उभरता हुआ मूल्यवान देश है जिसके पास निवेश एवं जनांकिकीय लाभ है जिसका उपयोग हमें विश्वगुरु बनने के करना चाहिए।

कैसे? महत्व

4/10

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(11) भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि विदेशी शिक्षा संस्थानों के प्रवेश से देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा? चर्चा कीजिए।

उच्च शिक्षा से आशय प्राथमिक शिक्षा से इतर इस शिक्षा से है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दी जाती है। भारत ने प्राथमिक संस्थानों में प्रवेश दर को 100% प्राप्त कर लिया है किंतु छोड़ने की दर अधिक होने के कारण उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का स्तर न्यून है।

भारत में उच्च शिक्षा की आवश्यकता एवं वर्तमान स्थिति :-

1) निजी कॉलेजों की अत्यधिक संख्या
2) UGC द्वारा नियामक भूमिका किंतु भ्रष्टाचार एवं नियामकीय क्रियान्वयन का निम्न स्तर
3) डिग्री आधारित शिक्षा
4) कौशल का निम्न स्तर
5) उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न नामांकन अनुपात - महिला पुरुष अनुपात में भिन्नता

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

व्यापक सुधार की आवश्यकता क्यों ?

1) सभी स्थानों के लिए समान एवं पुराना पाठ्यक्रम

2) संस्थानों को स्वायत्तता नहीं - UGC द्वारा नियामकीय भूमिका

3) संस्थानों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अभाव

4) IIT, IIM की बढ़ती संख्या किन्तु निम्न गुणवत्ता

5) शारीरिक, नैतिक, वोकेशनल शिक्षा का समावेश नहीं

6) तकनीकी शिक्षा पर अधिक ध्यान

7) UGC केवल सलाहकारी निकाय

8) वित्तीपन में कमी

विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश से हानियां

1) भिन्न सिलेबस एवं भिन्न प्रक्रिया अतः तुलनात्मक विश्लेषण सम्भव नहीं

2) विदेशी शिक्षण संस्थानों की भारत के ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के कारण निवेश की निम्न संभावना

3) भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव

write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश से लाभ

1) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षण अवसर प्राप्त होंगे
2) अन्तर्राष्ट्रीय प्रबंधन एवं प्रतिस्पर्धा
3) भारत के शिक्षण संस्थान भी सीख सकेंगे
4) विद्यार्थियों के लिए अवसर में वृद्धि
5) ब्रेन ड्रेन में कमी

समाधान एवं आगे की राह :-

1) NIRF को सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू किया जाये उसमें लगभग 25000 संस्थाओं ने भाग लिया
2) अनुसंधान प्रक्रिया को प्रोत्साहन → पेटेंट, डिजाइन आदि में वृद्धि
3) शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता दी जाये एवं वित्तीयन बढ़ाया जाये।

विदेशी शिक्षण संस्थान (जिन्हें QS रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त है) भारतीय संस्थानों के लिए रोल मॉडल का कार्य कर सकते हैं एवं QS रैंकिंग के टॉप 100 में हमें स्थान दिला सकते हैं।

इंट्रो की कमी नहीं लगाए

07/15

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(12) सर्वोच्च न्यायालय हालिया के निर्णयों के आलोक में 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता पर टिप्पणी कीजिये, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाना है।

संसद ने 103वाँ संवैधानिक संशोधन पारित किया जिसका मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को विकास की मुख्यधारा में लाना था। EWS वे समुदाय हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित criteria से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

EWS criteria -

- निश्चित मात्रा में भूमि
- किसी नगरपालिका क्षेत्र में प्लॉट सीमा
- न्यूनतम आय

सर्वोच्च न्यायालय ने EWS आरक्षण के विरोध में आयी विभिन्न केसों पर अपना निर्णय सुनाया एवं EWS आरक्षण को संवैधानिक करार दिया। इससे EWS लोगों को विकास में भागीदारी एवं समान स्तर पर आने का अवसर मिला है।

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय –

1) EWS आरक्षण संवैधानिक है।

2) यह इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में लगायी गयी 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करता।

3) 50% की सीमा में लोचशीलता है एवं इसमें सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है।

4) SC/ST को दिये गये आरक्षण से अलग यह SC/ST के अधिकारों की अवहेलना नहीं करता।

5) EWS को विकास की धारा में लाया जाना चाहिए।

वहीं दूसरी ओर कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह गैर-संवैधानिक है। वे अपना तर्क निम्न प्रकार से देते हैं।

1) राजनीतिक लाभ के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किया गया हथियार

2) SC/ST/OBC में भी EWS श्रेणी सम्मिलित है अतः इस आरक्षण पर

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए।

3) यह आरक्षण में 50% सीमा को पार करता है।

4) यह कुपार्टीइजेशन को बढ़ावा देता है। इससे आगे भी आरक्षण देने के नये आधार खुलते हैं।

5) आरक्षण जातीय आधार पर समानता स्थापना की व्यवस्था थी ना कि वित्तीय आधार पर

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में हमें यह समझ आता है कि आरक्षण को विकास का हथियार नहीं माना जा सकता है यह केवल एक उपकरण है जो अल्प समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हमें विकासीय गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

विषय वस्तु के साथ अच्छा है

07/15

(Please do not write anything except the question number is this space) कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

13) प्रस्तावित बहु-राज्यीय सहकारी समिति विधेयक 2022 भारत में सहकारी समितियों के संचालन में सुधार लाने का प्रयास करता है। इस संशोधन के महत्व पर बल देते हुए विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिये।

बहु-राज्य सहकारी समिति से आशय उन सहकारी समितियों से है जो एकाधिक राज्यों में अपना कार्य संचालन कर रही है। सहकारी समितियों को संविधान के भाग IX B में एवं मूल अधिकार के रूप में 97वें संविधान संशोधन 2012 के तहत जोड़ा गया।

प्रस्तावित बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक का महत्व :-

1) सहकारी समितियों को अपना कार्य विस्तार का अवसर प्राप्त होगा

2) सहकारी समितियों के चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आयेगी एवं सभी को समान अधिकार की सुनिश्चितता होगी।

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

3) राज्यों के अनुसार नियम, कानून, कर प्रक्रिया बदलने पर सहकारी समितियों पर न्यून प्रभाव पड़ेगा।

4) भागीदार किसानों का अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।

5) उपभोक्ता तक कम कीमत के सामान पहुँचाया जा सकेगा एवं मूल्य का स्थिरीकरण हो सकेगा।

6) समयबद्ध चुनाव प्रक्रिया एवं राज्यों द्वारा वित्तीयन प्रक्रिया पर प्रभावी देखरेख सम्भव होगी।

बिल के प्रमुख प्रावधान -

प्रबंधन में महिला / SC / ST समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं प्रबंधक स्तर पर कम से कम 2 महिलाएँ एवं (SC व / ST समुदाय का प्रतिनिधि शामिल हो।

- सहकारी/विशेषताएँ
- उद्देश्य
-

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

2) चुनाव प्रक्रिया समयानुरूप संचालित की जाये एवं चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

3) ग्रामीणों किसानों एवं अन्य लोगों का शोषण न्यूनतम हो एवं इन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल सके।

4) इनके वित्तीयन का स्रोत राज्यों के दायरे में आये एवं समय पर रिटर्न दाखिल किये जाये।

बहु-राज्यीय सहकारी समितियों जैसे अमूल ने वस्तुओं की सुदूर डिलीवरी सम्भव कराई है जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है किन्तु इनमें उपस्थित अवरोधों को दूर करके सहकारी समितियों के अधिकतम गुणक प्रभाव का उपयोग किया जा सकता है।

विश्लेषण की कमी है

6.5/15

Page

(Please do not write anything except the question number is this space) कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

(14) राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुरूप अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिये, न कि केवल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। इस संबंध में राज्यपाल पद से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये। व इसके उपाय सुझाये।

राज्यपाल, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के सभी विधेयक राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही कानून बन पाते हैं।

राज्यपाल के कार्य —

1. राज्य विधायिका का सदन बुलाना एवं सत्रावसान करना
2. राज्य विधायिका के प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र एवं नयी विधायिका आने पर अपना उद्बोधन देना
3. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना एवं इसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करना (अनु 163)
4. राज्य के सभी सरकारी कार्य उसकी नाम से ही किये जाते हैं
5. विधेयकों पर हस्ताक्षर करना या विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

राज्यपाल केन्द्र के एजेंट के रूप में -

1) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति
2) सामान्यतः केन्द्र सरकार द्वारा अपने सेवानिवृत्त नेताओं की नियुक्ति
3) केंद्र में सत्तासीन सरकार द्वारा सभी राज्यों मे अपने पक्ष के राज्यपाल नियुक्त करना
4) राज्यों एवं UTs पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण।
जैसे - पंजाब सरकार व राज्यपाल विवाद

राज्यपाल से सम्बन्धित मुद्दे -

1) राज्यो की सरकारों में कम आस्था एवं केन्द्र सरकार के लिए अनौपचारिक जवाबदेहिता
2) Hung विधानसभा की स्थिति मे अनिर्वाचन दलों को सरकार बनाने के लिए उचित समय नहीं देना
उदा - जम्मू कश्मीर मामले में
3) राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश का मनमाना उपयोग
4) राज्य के कार्यों मे मनमाना हस्तक्षेप
उदा - दिल्ली UT के उपराज्यपाल
5) राज्य के बारे में क्षेत्रीय मुद्दों की न्यून समझ

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

सम्बन्धित उपाय :—

- राज्यपाल के कार्यों एवं उसकी नियुक्ति से सम्बन्धित अनेक समितियों ने अपनी अनुशंसाएं की हैं जिनमें सरकारिया आयोग, 2nd ARC प्रमुख हैं पुंछी आयोग

इन्होंने अपने उपायों में निम्न सुझाव दिये हैं-

1) राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाये।

2) राज्यपाल को 5 साल के अतिरिक्त पद से केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जाये

3) राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने से पहले सभी दलों को सरकार बनाने का समुचित समय देना चाहिए।

4) राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया विधेयक राष्ट्रपति द्वारा एक सीमा से अधिक रखने पर कारण बताना आवश्यक हो।

राज्यपाल एक संवैधानिक एवं अति महत्वपूर्ण पद है जिसे राजनीतिक रूप से तटस्थ एवं कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होने की आवश्यकता है।

संघवाद आदि जोड़ें

Good.

07/15

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

15 संसदीय समितियों की भूमिका पर प्रकाश डालिये तथा उनकी अब तक की कार्यप्रणाली का समसामयिक मूल्यांकन कीजिये।

संसदीय समितियाँ, संसदीय सदस्यों की ऐसी समितियाँ होती है जिनका कार्य विधेयकों की गहन - जाँच पड़ताल करना होता है जिससे स्थापित सरकार की जवाबदेहिता स्थापित हो सके।

संसदीय समिति

स्थायी समिति
↓
प्रकृति से स्थायी

तदर्थ समिति
- किसी विशेष उद्देश्य के लिए

संसदीय समिति की संरचना -

- संसदीय सदस्य
- मंत्री सामान्यतः सदस्य नहीं
- कार्यकारी सहायता के लिए सचिवालय
- विशेषज्ञों का सहयोग

संसदीय समिति के कार्य -

1. विभिन्न विधेयकों एवं रिपोर्टों की गहन समीक्षा करना एवं जाँच

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

2) विधेयक के प्रत्येक उपबन्ध पर विशेषज्ञ एवं भागीदारों से परामर्श लेना

3) सरकार के पटल पर रिपोर्ट के सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श करना।

संसदीय समितियों की वर्तमान स्थिति -

1) सामान्यतः लोगों के हित से सम्बन्धित अधिकतम बिल लोकसभा /राज्यसभा अथवा संयुक्त समिति को स्थानान्तरित किये जाते हैं। किन्तु वर्तमान में इस मात्रा में कमी आयी है।
उदा० - 2014 - 71% बिल
2019 - 42% बिल

2) समितियों की समय पर मीटिंग का अभाव एवं संसदीय सदस्यों द्वारा कम ध्यान देना

3) विस्तृत विचार विमर्श का अभाव एवं तकनीकी विशेषज्ञों से न्यून परामर्श

4) कार्यकाल केवल 1 वर्ष अतः मुद्दों को समझने एवं हल करने का न्यून समय

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

संसदीय समितियों में सुधार के उपाय -

1) महत्वपूर्ण बिलों को संसदीय समितियों द्वारा गहन जांच के बाद ही सदन द्वारा पास किया जाना चाहिए।

2) विपक्ष की भूमिका - विपक्ष को सरकार की आलोचना एवं बिल की कमियों को उजागर करना चाहिए।

3) संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए

4) संसदीय समितियों की समय पर मीटिंग एवं विशेषज्ञों से परामर्श सुनिश्चित किया जाये

5) संसदीय समितियों की संसदीय जवाबदेहता सुनिश्चित की जाये।

संसदीय समितियां महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हैं जो कि संसदीय कार्यों एवं विधि निर्माण में अपना योगदान दे सकती है एवं लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है।

07

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

16

RPA, 1951 के तहत एक जन प्रतिनिधि के लिए निर्हता के आधार क्या है? क्या अब इस कानून पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है?

RPA, 1951 जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, अनुचित में भागीदारी सुनिश्चितता एवं उनकी निर्हता के आधार तय करता है।

RPA, 1951 के महत्वपूर्ण प्रावधान :-

1) निर्वाचक नामावलियों का निर्माण एवं क्षेत्रों तक पहुँचाना

2) जनप्रतिनिधियों द्वारा चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने सम्बन्धी प्रावधान एवं उन्हें निलंबित अथवा रोकने से सम्बन्धी प्रावधान

3) चुनावी प्रक्रिया में नामांकन की प्रक्रिया

4) चुनाव में नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया

5) चुनावी प्रक्रिया को शांत व अहिंसक तरीके से संपादित करना

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

6) प्रतिनिधियों की निरर्हता सम्बन्धी प्रावधान

7) चुनाव परिणाम पर अपत्तियाँ

8) चुनावी समस्याओं का समाधान

9) चुनाव आयोग की भूमिका

प्रतिनिधि की निरर्हता के आधार -

1) यदि प्रतिनिधि समय से अपने खर्चों की सूचना देने में असफल रहे

2) प्रतिनिधि अपनी सूचना के विपरीत

3) प्रतिनिधि को यदि 2 साल की जेल हुई हो तो वह 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं

4) जाति व धर्म के आधार पर वोट माँगने के कारण

5) आचार संहिता का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग द्वारा

6) भ्रष्ट कैप्चरिंग एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियां

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों ?

1) डिजीटल रूप से प्रचार करने सम्बन्धी प्रावधानो की कमी
2) प्रतिनिधियों के सम्बन्धियों द्वारा हिंसात्मक कृत्य एवं चुनावी खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए
3) चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दलों को विपंजीकृत करने का अधिकार नहीं

सम्बन्धित उपाय -

1. राजनीतिक दलों को प्रतिनिधि से सम्बन्धित सभी सूचना सार्वजनिक करनी चाहिए
2. राजनीति में अपराधीकरण की रोकथाम ~~लगभग~~ लगभग 50% सांसदों पर आपराधिक मामले
3. दलों मे आंतरिक लोकतांत्रिकरण
उदा - स्वीडन का जीपर मेथड

अतः समयानुरूप RPA 1951 मे कुछ परिवर्तन किये जाने आवश्यक है किन्तु सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर यह कार्य किया जाना चाहिए।

कहें केस (जस्टिस) ज्यादा प्रभावी

07/15

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(17) भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता समावेशिता, महत्त्वाकांक्षा और निर्णायकता का प्रतीक है। विवेचना कीजिये।

G-20, 1999 में स्थापित 19 देशों व EU का एक आर्थिक, वैश्विक व राजनैतिक संगठन है।

G-20 विश्व में	
जनसंख्या	60%
व्यापार	75%
GDP	85%

2023 में होने वाली G-20 की बैठक की अध्यक्षता पहली बार भारत के पास होगी।

समावेशिता के रूप में –

1) भारत का वसुधैव कुटुम्बकम् जिसका अर्थ है कि पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है।

2) उत्तर व दक्षिण में व्यापक सहयोग का प्रोत्साहन
उदा० विकासशील व विकसित देशों के मध्य सहयोग

→ हरित विकास
→ SDG की ओर
प्रयास

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

3) एक समावेशी विश्व बनाने की ओर - US के समूह देश एवं दूसरी ओर चीन - रूस समूह के देशों के मध्य भारत एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में

4) एक पृथ्वी : एक परिवार : एक भविष्य की भावना लेकर भारत सभी देशों के साझा संसाधन एवं साझा उत्तरदायित्वों पर जोर देता है।

महत्वाकांक्षा के घटक

1) भारत दक्षिणी विकासशील देशों का नेतृत्व करने के लिए तैयार

2) भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा अतः विश्व में एक महत्वपूर्ण भागीदार देश के रूप में

3) रूस-यूक्रेन युद्ध के रूप में भारत एक महत्वाकांक्षी मध्यस्थ की भूमिका

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(4) रूस से सैन्य हथियार आयात, दूसरी ओर अमेरिका से तकनीकी आयात — भारत दोनों तरफ अपने हितों के साथ संतुलन स्थापित कर रहा है।

निर्णायकता का प्रतीक :-

1) भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण - वर्किंग ग्रुप के रूप में आपदा जोखिम कम करने में निर्णायक भूमिका

2) जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए चुनौतियों के प्रति प्रतिबद्धता

3) एक समावेशी एवं शांत विश्व का निर्माण करने में

4) आतंकवाद को वैश्विक खतरा स्थापित करने में

5) वैश्विक सहयोग में एवं COVID-19 के बाद विश्व के बेहतरी के प्रयास

अतः G-20 भारत की विश्व के प्रति सोच को प्रदर्शित करने का अद्भुत मंच है जिसका प्रयोग अपनी समन्वय के साथ-साथ राष्ट्रीय हितों की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है।

विश्लेषण एवं उदाहरण पर ध्यान दें

Good Attempt

07/15

(Please do not write anything except the question number is this space) कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए! Candidates must not write on this margin.

(14) भारतीय निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नौकरशाही की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे अनु 324 के तहत स्थापित किया गया है।

निर्वाचन आयोग की संरचना

- 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त

निर्वाचन आयोग के कार्य -

1. शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा/राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्पन्न करवाना
2. निर्वाचक नामावली तैयार करना
3. राजनीतिक दलों का पंजीकरण
4. राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय व राज्य दल के रूप में मान्यता
5. परिसीमन में सहयोग

निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रयास

1) EVM मशीन का प्रयोग -
- बैलेट पेपर को हटाकर

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

2) NOTA → PUCL बनाम भारत संघ मामले मे वोटर को अधीक विकल्प

3) राष्ट्रीय व राज्य दलों को कुछ सुविधाएँ जैसे - मुफ्त निर्वाचक नामावली, आकाशवाणी पर प्रचार के लिए समय उपलब्ध (ई-वाउचर)

4) सरकारी मशीनरी का सत्ता पक्ष द्वारा दुरुपयोग पर रोक

5) आचार संहिता लागू करना

नौकरशाही की भूमिका -

1) चुनाव आयोग के आदेशों को धरातल पर लागू करने में
2) चुनावों को शांत व अहिंसक तरीके से लागू करने मे
3) चुनाव आयोग की सचिवालय रूप मे सहायता करने मे
4) स्थानीय स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर, BLO आदि नियुक्त करने मे
5) चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने में
6) सभी राजनीतिक दलों के प्रति समान

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

व्यवहार कराने में

7) लोगों के मध्य जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करने के
जैसे - SVEEP कार्यक्रम

8) संस्थाओं के दुरुपयोग को रोकने के

आगे की राह :-

1) चुनाव आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने की आवश्यकता
2) नौकरशाही पर प्रभावी नियंत्रण
3) सभी राजनीतिक दलों के प्रति समान व्यवहार
4) आचरण संहिता का पालन करना

नौकरशाही एवं चुनाव आयोग, चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संचालित कराने के लिए अति-महत्वपूर्ण है। अतः आपसी समन्वय स्थापित करके स्वयं को उत्तरदायी घोषित करने की आवश्यकता है।

विश्लेषण का अभाव है
प्रभाव

07/15

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

(19) भारत में कारागार सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। इस संबंध में आदर्श कारागार अधिनियम, 2023 के महत्व की विवेचना कीजिये।

जेल, राज्य सूची का विषय है। किसी अपराध की घटना पर व्यक्ति को कारावास की स्थिति में उसे कारागार में रखा जाता है।

वर्तमान में कारागारों की स्थिति

1) जेलों की न्यून संख्या जिससे एक जेल मे ही क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जा रहा है।

2) जेल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे - सही फर्श नहीं होना, पानी का अभाव

3) कारागार कार्मिकों की असंवेदनशील प्रवृत्ति
उदा० सामान्य अपराध एवं दुर्गम अपराध वाले अपराधियों के साथ समान व्यवहार

आकड़ों के साथ विश्लेषण बेहतर बनता होता।

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

4) मानवाधिकार हनन –
जेल में महिला शोषण, बलात्कार, समलैंगिक सम्बन्ध बनाना, व्यक्ति की गरिमा की हानि जैसे मानवाधिकारों का हनन आम बात है।

कारागार सुधारों की आवश्यकता क्यों

---

1) सभी अपराधी समान रूप से खतरनाक एवं अपराध में भागीदार नहीं होते अतः उनके लिए भिन्न व्यवहार की आवश्यकता
2) जेलों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता
3) जेलों में बढ़ते भ्रष्टाचार
Eg. कैदियों के पास मोबाइल आदि की पहुँच
4) कैदियों की आपस में लड़ाई की घटनाएँ
5) मानवाधिकारों की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक
6) वर्तमान डिजीटल युग में जेलों को कैदी-मैत्री बनाना।

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

कारागार अधि. 2023 का महत्व :-

1) जेल में कैदियों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित होगा
2) जेल के कैदियों का बाहरी दुनिया से मेल जोल बढ़ेगा
3) कैदियों को स्वयं के सुधार के अवसर प्राप्त होंगे
4) मनोवैज्ञानिक स्थिति में सुधार होगा
5) मानवाधिकार व प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।
6) कैदियों के जीवन की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी
7) विकास के अवसरों में वृद्धि - ओपन जेल की अवधारणा।

अत: कारागार अधि. में संशोधन द्वारा जेल में कैदियों के प्रति व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया गया है किन्तु हमें कैदियों के प्रति हमले एवं अन्य समस्याओं पर जोर देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बदलने का अवसर मिल सके।

मनोदशा (आज) ...
समस्या ...

07/15

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

२०

भारत में स्टंटिंग, वेस्टिंग व एनीमिया की उच्च व्यापकता बच्चों व महिलाओं के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का कारण बनी हुई है। चर्चा कीजिये कि इन मुद्दों से निपटने के लिए भारत को एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) जैसी अपनी मौजूदा सामाजिक क्षेत्र योजना को किस प्रकार सक्षम बनाना चाहिये।

भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी विविध योजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहा है किन्तु स्टंटिंग, वेस्टिंग व एनीमिया (लगभग ५१% महिलाएं) जैसी समस्याएं अब भी अत्यधिक प्रचलित है।

स्टंटिंग - उम्र की तुलना में लम्बाई कम होना

वेस्टिंग - लम्बाई की तुलना में भार में कमी

एनीमिया - महिलाओं में रक्त स्तर में कमी

स्वास्थ्य समस्याएं -

- विकास की निम्न सम्भावनाएं
- सामाजिक एकीकरण
- रोजगार के अवसरों की कमी
- उत्पादकता में कमी
- मानव के धन्धे में कमी

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

ICDS का योगदान :-

- 0-6 साल के बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माताओं को संतुलित पोषक आहार प्रदान करना
- घर का पोषक संसाधन पहुँचाना
- उनकी दैनिक आवश्यकताओं का पूरा ख्याल रखना
- वित्तीय स्तर के प्रोत्साहन

ICDS के सुधार -

- सभी स्तर पर महिलाओं को सम्मिलित किया जाये
- महिलाओं में जागरूकता
- पोषण का उच्च स्तर
- ASHA कार्यकर्ताओं की भूमिका
- PHC की भूमिका
- पितृ सत्तात्मकता पर रोक

→ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
→ मध्याह्न भोजन योजना
→

(Please do not write anything except the question number is this space)
कृप्या इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें!

UPSC

Answer Questions in NOT MORE THAN the Word Limit specified for each in the Parenthesis.
Content of the Question is more important than length.
(Specimen Answer Booklet - For Practice Purpose Only)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए!
Candidates must not write on this margin.

इंटरलिंकेज अच्छा है

अतः ICDS एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे महिलाओं की पोषण सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत 121 देशों में से 107 वे स्थान पर है

6.5/15